


मुं.नं. ६/७ उन्वान - गुलकन्दो देवी V/S रामकिशोर वर्मा  
**लय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम**

**फर्द अहकाम**

ग्रामजीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 20.1.20 की प्रती के साथ इस न्यायालय की प्रती प्राप्त हुई है। ग्रामजीय न्यायालय राजस्व मंडल में प्रस्तुत निगरानी पक्ष कारनामों में राजीनामा हो जाने से Not-Press में खारिज हो चुकी है। पक्षकारों को जरिये कोर्ट जोटिस तत्पश्चात् पत्रावली दिनांक 19.8.20 को पेश है।

3256-74


23-7-20

  
 उपजिला कलेक्टर  
 टोडाभीम (करौली)


19.8.20

पत्रावली पेश हुई। वादिया एवं उनकी ओर से नियुक्त मुख्तियार आम अचल सिंह 5% अग्रसिंह मीना का बकाया राजस्व पेश किया तथा अचल सिंह स्वयं तथा उनके वकील श्री राम अंतवार शर्मा उपस्थित। इन्होंने कथन किया कि मुकदमे का आगे चलाना वहीं चाहते हैं। मुकदमे को Not-Press में खारिज कराने का कथन किया। मुख्तियार आम की फोटो प्रती भी प्रस्तुत की गई।

मुकदमा खारिज  
 न्यायालय गए  
 वादिया के




मुख्तियार  
 आम  
 इन्दौर

  
 रामावतार शर्मा  
 करौली

वादी एवं वादी वकील द्वारा यह दावा Not-Press कर आगे नहीं चलाने के कथन पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फेंसल शुमार होकर नम्बर ले कम होकर दाखिल दफ्तर है।



  
 (दुर्गा प्रसाद मीना)  
 उपजिला अधिकारी टोडाभीम  
 जिला-करौली